

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद

सेवामें

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार, नयी दिल्ली।

पत्रांक/शिविर /

/2013-14

दिनांक- 13/5/2013

विषय:- पं० रामचन्द्र मिश्र मेमोरियल पब्लिक स्कूल पीपलगांव झलवा इलाहाबाद (सी०बी०एस०ई०)नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या 1916/15-7-09-1 (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति दिनांक 01.11.2012 के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नयी दिल्ली/क्रौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नयी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
10. सी०बी०एस०ई० नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
11. सी०बी०एस०ई० नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।
12. छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमन्य है।
13. शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जायें।
14. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जायेगा।
15. विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि तथा पनघट, गोचर, तालाब, खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के पूर्व संस्था के 05 अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जायं, तथा संस्था के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से जो कम वेतन दिया जा रहा उसे पूर्ण किया जाय।

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओ०पी० द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/शिविर / 1429-35 2013-14 उसीतिथि को

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
2. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ
5. प्रबंधक, पं० रामचन्द्र मिश्र मेमोरियल पब्लिक स्कूल पीपलगांव झलवा इलाहाबाद
6. कार्यालय गार्ड पत्रावली



(ओ०पी० द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद